N.S.G. SAHKARI AVAS SAMITI LIMITED

REGISTERED NO. 2213/1996

Plot No. 2, Pocket-6, Builder's Area, Greater Noida, Gautam Budh Nagar (U.P.) - 201310

<u>Land Bank Audit of NSG Sahkari Avas Samiti Limited: Order issued by Tehsildar (Judicial) / Tehsildar (Sadar), Gautam Budh Nagar for providing details of records</u>

i. Copies of Orders dated 05.08.2022 and 20.08.2022 issued by Tehsildar (Judicial) / Tehsildar (Sadar), Gautam Budh Nagar are enclosed.

ii. Copy of reply sent vide letter No.NSG SAS/Land Audit/22-23 dated 22.08.2022 in compliance of above mentioned Orders is also enclosed for information.

Sd/-
(P.M. Thakur)
Secretary, NSG SAS Ltd.
26.08.2022

अनुस्मारक प्रथम

कार्यालय तहसीलदार–सदर गौतमबुद्धनगर

पत्राक 125/6 /रा0नि0(कार्या0)/2022 दिनांक अगस्त .2022

एन0 0जी0 सहकारी आवास
समिति लि0 गौतमबुद्धनगर।

विषयः– सहकारी आवास समिति की लैण्ड बैक आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कार्यालय उपजिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र सं0 900/एस0टी0–एस0डी0 एम0/2022 दिनांक 29.07.2022 जो माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच लखनऊ के आदेश बेल एम्लीकेशन न0 14190/2021 दिनांक 30.05.2022 के अनुक्रम में है जिसमें सहकारी आवास समितियों के लैण्ड बैक आडिट एवं अध्यक्ष/सचिव के चुनाव प्रकिया के परीक्षण के सम्बन्ध में आदेशित किया गया है।

इस कम में आपको पत्राक सं0 124/ दिनांक 05.08.2022 को पूर्व में भी पत्र के माध्यम से सूचना दी गई थी कि समिति से सम्बन्धित सभी भूमि अभिलेख कय–विकय, सदस्यों की सूची (समिति बनाते समय व वर्तमान) चुनाव प्रकियाओं सम्बन्धित अभिलेख, कार्यवाही रजिस्टर आदि अभिलेखों सहित दिनांक 10.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे न्यायालय उपजिलाधिकारी कक्ष संख्या 119 सूरजपुर कलैक्ट्रेट गौतमबुद्धनगर में स्वयं या अन्य किसी प्रतिनिधि को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु इस सम्बंध में पूर्ण अभिलेख समिति से प्राप्त नहीं हुए है। चूकि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय से सम्बंधित है अतः इस सम्बंध में किसी प्रकार की लापरवाही होने पर समिति का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आख्या प्रेषित की जाएँगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

तहसीलदार–न्यायिक,
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय तहसीलदार–सदर गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 124/9 /रा0नि0(कार्या0)/2022 दिनांक 05 अगस्त 2022

सचिव/अध्यक्ष
एन0सी0जी0 सहकारी आवास
समिति लि0 गौतमबुद्धनगर।
मो0 9871013591

विषयः– सहकारी आवास समिति की लैण्ड बैंक आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कार्यालय उपजिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 29.07.2022 जो माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश दिनांक 08.05.2022 के अनुक्रम में है जिसमें सहकारी आवास समितियों के लैण्ड बैंक आडिट एवं अध्यक्ष/सचिव के चुनाव प्रकिया के परीक्षण के सम्बन्ध में आदेशित किया गया है।

अतः आदेशों के कम में आपको आदेशित किया जाता है कि समिति से सम्बन्धित सभी भूमि अभिलेख कय–विकय, सदस्यों की सूची (समिति बनाते समय व वर्तमान) चुनाव प्रकियाओं सम्बन्धित अभिलेख, कार्यवाही रजिस्टर आदि अभिलेखों सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 11.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे न्यायालय उपजिलाधिकारी कक्ष संख्या 119 सूरजपुर कलैक्ट्रेट गौतमबुद्धनगर में उपस्थित होने का कष्ट करें।

तहसीलदार–न्यायिक,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः–

1. **उपजिलाधिकारी महोदय सदर को सूचनार्थ प्रेषित।**

दिनांक 11/8/22 को 12.40 के समय पर प्राप्त किया

तहसीलदार–न्यायिक,
गौतमबुद्धनगर।

Shivam
11/8/2022 (GUARD)

Received at 15.50 hrs from Guard Mr. Shivam. Spoken to Mr. Pramod Kumar, Surajpur Tehsil
Phone No 812(357124)
For information please
11/8/22

Telephone : 0120-3174178
E-mail : admin@nsgsassociety.com
Website : www.nsgsassociety.com

एन.एस.जी. सहकारी आवास समिति लिमिटेड
पंजीकृत सं. 2213/1996
प्लॉट नंबर 2, पॉकेट-6, बिल्डर्स एरिया, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) - 201310

N.S.G. SAHKARI AVAS SAMITI LIMITED

REGISTERED NO. 2213/1996
Plot No. 2, Pocket-6, Builder's Area, Greater Noida, Gautam Budh Nagar (U.P.) - 201310

संदर्भ संख्या
Ref. No NSG SAS/Land Audit/22-23

दिनांक
Dated 22.8.2022

सेवा में,

तहसीलदार–न्यायिक,
तहसीलदार–सदर, गौतमबुद्धनगर ।

<u>सहकारी आवास सहमति की लैण्ड बैंक आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में : एनएसजी सहकारी आवास समिति लिमिटेड।</u>

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषय में अपने पत्रांक सं0 124/9/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक 5.8.2022, जो हमें दिनांक 11.8.22 को प्राप्त हुआ एवं पत्रांक 125/6/रा0नि0कार्या0 /2022 का दिनांक 20 अगस्त 2022 के सदंर्भ का अवलोकन करें ।

2. उपरोक्त विषय में यह कहना है कि दिनांक 27.11.1996 की एक सामान्य बैठक जिसमें एनएसजी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे, एक विशेष प्रस्ताव द्वारा एनएसजी सहकारी आवास समिति लिमिटेड (पंजीकरण सं0 2213/96) को बनाने का संकल्प लिया गया जिसमे 51 सदस्य बनाए गए एवं प्रस्ताव आवास एवं विकास परिषद लखनउ निबंधन के लिए निर्देशित प्रपत्र के अनुसार भेजा गया । दिनांक 27.12.1996 को समिति का निबंधन किया गया । समिति ने अगले प्रस्ताव में दिनांक 30.4.1997 के पत्र द्वारा 250 से अधिक सदस्य बनाने, 12.50 एकड़ से ज्यादा भूमि खरीदने एवं 200 वर्गमीटर से उपर भूखंड़ निर्माण हेतु आदेश पत्र के लिए आवास एवं विकास परिषद् लखनउ से प्रार्थना की, जिसे आवास एवं विकास परिषद् लखनउ ने अपने पत्रांक 2136 दिनांक 30.4.1997 द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर आदेश जारी किया ।

Received
22/08/2022

3. एनएसजी सहकारी आवास समिति ने 31.12.1996 को 40.50 एकड़ (एक लाख बासठ हजार स्क्वायर मीटर) के कय हेतु, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को जीएजएस–02 स्कीम के अंर्तगत, निर्धारित प्रपत्र सं0 361 के अनुसार रूप्ये 25000/– के डाफ्ट के साथ आवेदन किया । प्राधिकरण ने पत्र सं0 Prop/GHS/B-60/383 दिनांक 11.9.97 के द्वारा समिति को 28.5. एकड़ (एक लाख पंद्रह हजार तीन सो चालीस स्क्वायर मीटर) रूप्ये 750/– की दर से आवंटन किया । समिति ने निर्धारित समय 30 दिन के अंदर भूमि का 10 प्रतिशत राशि रूप्ये 86,25,500/– को तय समय पर जमा करा दिया । शेष राशि 08 माह की किस्तों में जमा की गई । 50 प्रतिशत कीं राशि जमा होने के पश्चात भूमि का लीज–डीड मई, 1999 में निष्पादित किया गया । इसके उपरांत भूमि विकास कार्य के लिए ले–आउट प्लान और डिजाईन जमा किया गया जिसमे 351 प्लाट के निर्माण हेतु 65 प्रतिशत लेंड एरिया दर्शाया गया एवं शेष 35 प्रतिशत भूमि सीवर, पार्क, सड़कें, बरसाती नालियॉ, बिजली के टार्सफारमर, पानी–बिजली की लाईन आदि–आदि के लिए छोड़ा गया । प्राधिकरण ने बि.पी नं0 481 दिनांक 01.7.2000 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की । कम्पलिसन सर्टिफिकेट हेतु प्राधिकरण के पत्र सं0 सम्पति/जीएचएस/2006/626 दिनांक 23.6.2006 एवं पत्रांक सं0 सम्पति/जीएचएस/2009/3690 दिनांक 22.6.2009 का पत्र नीचे दिए गए विवरण के साथ संलग्न है ।

4. एनएसजी सोसाईटी के कार्यालय में दिनांक 20.8.22 को तहसीलदार न्यायिक एवं चुनाव अधिकारियों द्वारा किए गए दौरे के दौरान जैसा निर्देश दिया गया था, तद्नुसार निम्नलिखित विवरण संलग्न हैं :–

समिति का नाम– एन.एस.जी. सहकारी आवास समिति लि0 गौतमबुद्वनगर

समिति के अध्यक्ष का नाम व मो0 नं0– 1. श्री शमशेर बहादुर देयोल 9818900915

समिति के सचिव का नाम व मो0 नं0– 2. श्री पी.एम. ठाकुर 9871013591

क0सं0	समिति से प्राप्त किये जाने वाले अभिलेखो का विवरण	प्राप्त/अप्राप्त अभिलेख
1	समिति के बाईलॉज	समिति के बाईलॉज बनाते समय भेजे गए प्रस्ताव की प्रति, कार्यवाही पुस्तिका से दिनांक 21.11.96 की आयोजित सामान्य बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि जिसमें 51 सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम, सदस्य पुस्तिका से ली गई प्रतिलिपि, सचिव नियुक्ति पत्र एवं सचिव द्वारा पद ग्रहण करने की

		सहमति एवं मुख्य प्रर्वतक द्वारा उप आवास आयुक्त/उप निबंधक को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है (संलग्नक 1बी से 1ई)। समिति के बाईलॉज की प्रतिलिपि अनुलग्नक–1ए पर संलग्न है ।
2	समिति पंजीकरण के समय सदस्यों की सूची	समिति की सामान्य बैठक दिनांक 21.11.96 के कार्यवृत्त की प्रस्ताव सं0 11 जिसमें 51 सदस्यों का नाम नामित है कि प्रतिलिपि अनुलग्नक– 2ए पर संलग्न है।
3	भूमि आवंटन के समय सदस्यों की सूची	भूमि आवंटन के समय सदस्यों की कुल सं0 351 थी जिन्हें समिति की **वार्षिक** सामान्य बैठक दिनांक 30.3.2002 को लॉटरी के द्वारा यू.पी आवास एवं विकास परिषद, लखनउ के सहकारी अधिकारी की उपस्थिति में पलाटों का आबंटन किया गया तथा इसकी प्रति ग्रेटर नोएड़ा प्राधिकरण को भी दी गई थी । 351 सदस्य जिन्हें भूमि आवंटन किया गया उनकी सूची सदस्य सं0 के अनुसार एवं प्लाट सं0 के अनुसार अनुलग्नक–3ए एवं 3बी पर संलग्न है ।
4	वर्तमान मे समिति में सदस्यों की सूची	वर्तमान में कुल सदस्य 351 ही हैं । बहुत सारे मूल सदस्यों ने अपना प्लाट बेच दिया है जिनके बदले नए सदस्यों को समिति में शामिल किया गया । समिति के मूल सदस्य सभी एनएसजी के अधिकारी एवं कर्मचारी थे । भूमि क्रय–विक्रय के संबंध में समिति ने 2009 में ट्रांसफर रूल बनाए थे जिसे ग्रेटर नोएड़ा प्राधिकरण को 2010 में दिखाने के बाद लागू किया गया था एवं 2012 में इसे संशोधित कर लागू किया गया । लागू करने से पहले यू.पी. आवास एवं विकास परिषद लखनउ से अनुमोदन नहीं लिया गया था जिस कारण यू.पी. आवास एवं विकास परिषद लखनउ ने इसे निरस्त कर दिया एवं समिति और सचिव को बर्खास्त करते हुए श्री लाखन सिंह, सहकारी अधिकारी को दिनांक 28.7.2012 में प्रशासक नियुक्त किया गया । उस प्रशासक ने बहुत सारे प्लाटों को गलत ढंग से बेच दिया और उनको सदस्य भी बना दिया । इस संबंध में यू.पी. आवास एवं विकास परिषद लखनउ का आदेश दिनांक 30.10.2012 अनुलग्नक–4.ए पर संलग्न है । 10.3.2013 को चुनाव प्रकिया सम्पन्न होने के उपरांत श्री वी.एस. रावल, अध्यक्ष बनें उनका कार्यकाल 10.3.2018 को समाप्त हो गया था ओर अगला चुनाव समय पर नहीं किया जा सका जिस कारण चुनाव अधिकारी एवं यू.पी. आवास एवं विकास परिषद लखनउ के अधिकारी ने दिनांक 18.3.2018 को प्रबंध कमेटी का कार्यकाल समाप्त कर दिया और नया चुनाव अप्रैल 2018

आवास समिति ... पंजीकरण सं. 2213/1996

		के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न करवाया । **इस चुनाव में नो सदस्यों के बदले सिर्फ चार सदस्यों का चुनाव होने के कारण कोरम पुरा नहीं हुआ और** यू.पी. आवास एवं विकास परिषद लखनउ द्वारा दिनांक 25.4.2018 को श्री अभय कुमार सिंह, तहसीदार जेवर को समिति का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया । प्रशासक ने दिल्ली सरकार के निम्न श्रेणी लिपिक श्री ललित कुमार को समिति का सचिव एवं श्री प्रवीण कटारिया, प्राईवेट प्रोपर्टी डिलर को समिति का सहायक सचिव नियुक्त किया । श्री सत्यपाल सिंह, सहकारिता अधिकारी दिनांक 25.7.2019 को श्री अभय कुमार सिंह के बदले प्रशासक मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए । प्रशासक मंडल ने दिनांक 22.11.2019 तक समिति का संचालन किया । प्रशासक मंडल ने गैर-कानूनी तरीके से 50 की संख्या से उपर एनएसजी सोसाईटी के भुखण्ड बेच ड़ाले और लगभग 113 पुराने बिके हुए भुखण्ड़ों का गैर कानूनी तरीके से समिति का सदस्य बनाया गया जबकि श्री सत्यपाल सिंह के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा गया था कि **प्रशासक मंडल समिति के प्लाटों का विक्रय नहीं कर सकते और सदस्य नहीं बना सकते** । इस आदेश दिनांक 20.9.2019 की प्रतिलिपि अनुलग्नक-4.बी पर संलग्न है। दिनांक 22.11.2019 को चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद भी प्रशासक मंडल ने नए चुनी गई प्रबंध कमेटी को कार्यभार/कार्यालय/अभिलेख नहीं सौंपे इस संबंध में दिनांक 8.8.2020 को की गई एफआईआर 0422 की प्रतिलिपि अनुलग्नक-4.सी-1 पर संलग्न है । इन्होंने कार्यालय से बहुत सारे अभिलेख आदि-आदि गायब कर दिए जिसके संबंध में दिनांक 7.4.2022 को एफआईआर करने हेतु पुलिस को शिकायत की गई । शिकायत पत्र की प्रतिलिपि अनुलग्नक-4.सी-II पर संलग्न है। **प्रशासक मंडल ने कार्यभार नहीं सौपनें के साथ-साथ समिति के अभिलेखों को भी गायब किया था और समिति के नाम पर इंडियन बैंक में खाता खोल कर तकरीबन रूप्यें 31 लाख से अधिक का गबन किया । और सारे पैसों को श्री प्रवीण कटारिया की कम्पनी रौनक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड में हस्तांरित कर दिया । इस संबंध में भी शिकायत पत्र दस्तावेजों के साथ 14.7.2022 डीसीपी ग्रेटर नोएड़ा को एफआईआर फाईल करने हेतु निजी तौर पर दिनांक 16.7.2022 को सौंपा गया । इसकी प्रतिलिपि** अनुलग्नक-4.डी पर संलग्न है।

सहकारी आवास समिति
पंजीकरण सं. 2213/1986

5	कार्यवाही रजिस्टर सूची	इसे बाद में उपलब्ध करवाया जाएगा ।
6	समिति के पास कुल घृत भूमि (कय पत्र, लीज पत्र आदि)	समिति के द्वारा ग्रेटर नोएड़ा प्राधिकरण को ग्रुप हाउसिंग स्कीम में एक लाख बासठ हजार वर्गमीटर भूमि के लिए आवश्यक बैंक डाफ्ट/डिमांड पत्र दिनांक 31.12.1996 को दिया गया । प्राधिकरण ने अपने पत्र Property/GHS/B–60/383 दिनांक 11.9.1997 द्वारा एक लाख पंद्रह हजार तीन सो चालिए वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया जिसके कीमत रू 86255000/–तय की गई जिसका निर्धारित समय पर चुकाया गया एवं भूमि प्राप्त होने के दौरान सबलिज डिड भी एकजिक्यूट किया गया । समिति का मांग–पत्र, प्राधिकरण का अलॉटमेंट पत्र एवं सबलिज डिड की प्रति अनुलग्नक 6.ए,बी,तथा सी पर संलग्न है साथ ही भूमि के विकास कार्यो के उपरांत प्राधिकरण द्वारा जारी पत्रों की प्रतिलिपि जिसमें यह कहा गया है कि समिति के द्वारा Activity-I को 12.10.2006 तक पूर्ण करना था, जिसे पूर्ण कर दिया गया है। Activity-I में भूमि का विकास, भुखंड निर्माण और **सीवर, पार्क, सड़कें, बरसाती नालियॉ, बिजली के टार्सफारमर, पानी–बिजली की लाईन आदि–आदि** कार्य करना था । Activity-II में सोपिंग काम्प्लैक्स एवं नर्सरी स्कूल वगैरह बनना था जिसे 12.10. 2009 तक पूरा करना था । Convenient Shopping Centre **का निर्माण 2015 में पूरा कर दिया गया और कार्य कर रहा है । प्राधिकरण द्वारा** जारी Convenient Shopping Centre का Occupancy Certificate अनुलग्नक 6.डी पर संलग्न है । Convenient Shopping Centre **से प्राप्त आय का विवरण अनुलग्नक 6.ई पर संलग्न हैं** । Shopping Centre **की एक दुकान न012 गलत ढंग से श्री प्रवीण कटारिया ने सहायक सचिव के पद पर रहते हुए अपने नाम से नवम्बर 2019 में 20 साल के लीज पर आबंटित कर लिया । इस संबंध में गौतम बुद्व नगर कोर्ट में दायर केस के आधार पर पूलिस को एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था । इसकी प्रगति देखने हेतु जारी पत्र की प्रतिलिपि अनुलग्नक 6जी पर संलग्न है । नर्सरी स्कूल का मानचित्र प्राधिकरण से पारित है, प्रतिलिपि** अनुलग्नक **6.ई पर संलग्न है**

7	सदस्यो की सूची (जिन्हे भूमि वितरित की गयी)	351 सदस्य को समिति द्वारा प्राधिकरण से प्राप्त 28.5 एकड़ भूमि पर विकास कार्य के उपरांत 65 प्रतिशत भूमि पर 351 भूखंड बनाए गए एवं **शेष** 35 प्रतिशत भूमि का प्रयोग अन्य सुविधाओं के लिए किया गया । 351 मूल सदस्यों की सूची अनुलग्नक 7.ए और 7.बी पर उपलब्ध है । कुछ मूल सदस्यों द्वारा अपना प्लाट बेचे जाने के बाद का विवरण विवादित होने के कारण समिति के पास विचाराधीन है । इस संबंध में समिति द्वारा अपनी वेबसाईट nsgsassociety.com पर ड़ाली गई सूचनाएं **अनुलग्नक 7सी से 7ई पर उपलब्ध हैं । केवल 125 वर्गमीटर वाले सदस्यों की सूचना में विलम्ब है जिसे जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा ।**
8	समिति के निर्वाचन से सम्बन्धित अभिलेख 1. सभी चुनावों का विवरण 2. चुनावों में हुए विवादों के **विषय** में अभिलेख 3. यदि किसी न्यायालय में विचाराधीन है तो उसके अभिलेख	**1. क पहला चुनाव 1997 में किया गया एवं दुसरा चुनाव 2000 में किया गया पर फाईलें उपलब्ध नहीं होने के कारण इसकी सूचना बाद में फाईलें उपलब्ध होनें के उपरांत करवा दी जाएगी ।** **ख. उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नवम्बर 2003 में सम्पन्न हुए चुनाव का <u>विवरण/निर्वाचन</u> परिणाम दिनांक 23.11.2003 अनुलग्नक 8.ए पर सलंग्न हैं ।** **ग. उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मार्च 2008 में सम्पन्न हुए चुनाव का <u>विवरण/निर्वाचन</u> परिणाम दिनांक 19.3.2008 अनुलग्नक 8.बी. पर सलंग्न हैं ।** **घ. उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मार्च 2013 में सम्पन्न हुए चुनाव का <u>विवरण/निर्वाचन</u> परिणाम दिनांक 10.3.2013 अनुलग्नक 8.सी. पर सलंग्न हैं ।** **ड. अप्रैल 2018 के प्रथम सप्ताह में हुए चुनाव में सिर्फ चार सदस्य चुने गए जिस कारण से कोरम कम्पलिट नहीं हुआ। इस संबंध में यू.पी. आवास एवं विकास परिषद का पत्र सं0 1434 दिनांक 10.7.2018 की प्रतिलिपि अनुलग्नक 8.डी. पर सलंग्न हैं । चुंकि उपरोक्त अप्रैल के चुनाव में कोरम का अभाव था, इसलिए चुनाव अधिकारी द्वारा नवम्बर 2019 में शेष 05 सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव करवाया गया । उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नवम्बर, 2019 में सम्पन्न हुए द्वितिय चरण के चुनाव का <u>विवरण/निर्वाचन</u> परिणाम 22.11.2019 की प्रतिलिपि अनुलग्नक 8.ई पर सलंग्न हैं ।**

		2. वर्ष 2013 तक के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ । वर्ष 2018–2019 में सम्पन्न हुए चुनाव के दौरान प्राईवेट प्रोप्रटी डिलर प्रवीण कटारिया द्वारा हाई कोर्ट इलाहाबाद में चुनाव के खिलाफ केस फाईल किया गया था जिसे कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया । कोर्ट केस के संबंध में विवरण पुस्तिका बाद मे उपलब्ध कराया जाएगा । वर्तमान प्रबंध कमेटी ने 23.11.2019 से गठित होने के उपरांत कार्यभार संभाला है जिसका विवरण अनुलग्नक 8.ई पर सलंग्न हैं । 3. न्यायालय में 2019 के चुनाव के संबंध में यदि कोई और केस विचाराधीन है तो इस प्रबंध कमेटी को सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रशासक मंडल ने नवम्बर 2019 में हुए चुनाव के उपरांत सोसाईटी ऑफिस तथा रिकार्डस उपलब्ध नहीं करवाए हैं । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समिति का अगला चुनाव मार्च/अप्रैल 2023 में होना है ।

5. उपरोक्त जानकारी आपके आदेशानुसार तैयार कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

भवदीय,

(P M Thakur)
Secy, COM
NSG SAS LTD

(पी.एम. ठाकुर)
सचिव

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार ।